न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 109/2016

1. गिर्राज पुत्र जौहरी
2. रामरतन }
3. रतनलाल } पि0 नथुआ
4. सियाराम }
5. रामनिवास } पि0 जगन्या
6. केशू }
7. चन्दू }
8. हरकेश }
9. रामकेश } पि0 रामसहाय
10. गिलाडी पुत्र प्रभू
11. जगराम }
12. सुरेश } पि0 डोडी जातियान मीना, निवासियान मांचडी तहसील टोडाभीम, जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. काडू }
2. रमेश } पि0 मोहनदास, जाति बैरागी, निवासी मांचडी तहसील टोडाभीम, जिला करौली

रेस्पोटेंडान

(अपील विरूद्व निर्णय व डिग्री न्यायालय सहायक कलेक्टर हिण्डौन सिटी मु0न0 28/1983, निर्णय व डिक्री दिनांक 16.02.1984)

उपस्थित अभिभाषक
1. अपीलांटान की ओर से श्री हेमेन्द्र कुमार शर्मा
2. रेस्प्रोडेंटान की ओर से श्री राधारमण शर्मा

निर्णय दिनांक 21.10.2020

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं कार्यपालक दण्डनायक हिण्डौन सिटी के मु0न0 28/1983 निर्णय व डिग्री दिनांक 16.02.1984 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो0/वादी की ओर से दावा बाबत घोषणा खातेदारी दखलयावी व हुक्म इम्तनाई दवामी इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 27 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम मांचडी तहसील टोडाभीम में स्थित है जो वादी मूर्ति श्री सीताराम जी के नाम ममलूका मकबूजा कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि है। मूर्ति श्री सीताराम जी विराजमान मन्दिर ग्राम मांचडी तहसील टोडाभीम में स्थित है, जिसका पुजारी मुहतमिम मोहनदास पुत्र नारायण दास जाति बैरागी निवासी मांचडी है जो सदैव से उक्त मूर्ति की सेवा पूजा व प्रबन्ध करता चला आ रहा है और उक्त मन्दिर की ऐराजी ... है। प्रतिवादी निहायत चालाक रिसोर्सफुल व्यक्ति है, अपनी चालाकी से पटवार हल्का से साज कर अत्यन्त गोपनीय तरीके से चुपचाप आराजी खसरा नं0 27 की खातेदारी अपने नाम करा ली जबकि किसी प्रतिवादीगण को परपीच्यूल माईनर की कृषि भूमि में किसी प्रकार से कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:09:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इस प्रकार के इन्द्राज से वादी मूर्ति के कानूनी अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पडता है और उसके अधिकारों का हनन होता है प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त अवैध एवं खिलाफ कानून है। वादी मूर्ति श्री सीताराम जी की ओर से एहतमाम पुजारी द्वारा कब्जा लौटाने को माह जनवरी 1983 में प्रतिवादीगण को कहाँ तो टालम टोल करते रहे। अन्त में दिनांक 30.01.83 को भूमि को खाली कर कब्जा वादी को सम्भलाने से साफ इंकार कर दिया, राजीखुशी कब्जा लौटाने को तैयार नही है जिससे वादी को अपूर्णीय क्षति है। प्रतिवादीगण अवैध रूप से कब्जा बनाये हुए है। दखल वादी दिलाया जाकर लगान का 15 गुना पैनेल्टी हर्जा स्वयं वादी प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी विवादित आराजीयात की मंदिर के हक में खातेदारी की घोषणा कराने एवं प्रतिवादीगण को बेदखल करा कर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। अन्त में दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रतिवादी के विरूद्व निर्णय पारित किये जाने से व्यथित होकर यह अपील पेश की है। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया गया है।

2 अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर उभयपक्ष अभिभाषकों द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी एवं बहस सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत की जिसमें तर्क दिया कि डिक्री व निर्णय अदालत मातहत रूहेदाद मिशल खिलाफ कानून होने के कारण लायके मंसूखी है। रेस्पोडेन्ट के पिता मोहनदास द्वारा अपने आप को मूर्ति श्री सीतारामजी विराजमान मंदिर ग्राम मांचडी जरिये ऐहतमाम पुजारी बताकर उक्त आराजी ख0नं0 27 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा ग्राम मांचडी के बाबत अपीलांटस/प्रतिवादी के खिलाफ एक मुकदमा उनवानी मूर्ति श्री सीतारामजी बनाम मंगल वगै0 मु0नं0 28/83 न्यायालय ए.सी.एम. हिण्डौन में घोषणा खातेदारी व दखल प्रस्तुत कर फर्जी तथा गोपनीय तरीके से सरकारी कर्मचारियों से साज करके दिनांक 19.05.1983 को एकतरफा कार्यवाही करवाकर एकतरफा डिक्री करवा ली है, जिसका प्रतिवादी/अपीलांटस को कभी इल्म नहीं होने दिया तथा एकतरफा में दिनांक 16.02.1984 को डिक्री व आदेश पारित करवा लिया [illegible] फरमाये जाने योग्य है, तथा एकतरफा डिक्री के आधार पर उक्त आराजी वर्तमान में [illegible]तारामजी के नाम दर्ज है उक्त आराजी से अपीलांटस/प्रतिवादी को कभी भी बेदखल नहीं किया गया है तथा आज भी अपीलांटस उक्त आराजी पर काबिज एवं दखील है तथा डिक्री इन फैक्चस हो गयी है। अपीलांटस/प्रतिवादीगण की उक्त मुकदमा की कभी भी कोई इल्म नहीं होने दिया और ना ही आज तक अपीलांटस उक्त आराजी से बेदखल हुआ आज भी अपीलांटस

प्राधिकारी
माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 15:09:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उक्त आराजी पर काबिज है एवं काश्त कर रहा है। उक्त आराजी कभी भी मूर्ति के नाम नहीं रही है। रेस्पोडेन्ट के पिता द्वारा उक्त आराजी की खातेदारी होने के बाद अपीलांटस/प्रतिवादी को जरिये रजिस्टर्ड बेचान कर कब्जा संभला दिया था तथा उक्त आराजी का नामान्तरकरण संख्या 22 दिनांक 09.06.1969 भी अपीलांटस के नाम खुल चुका है तथा खातेदारी में आ चुका है जो संवत् 2032–2035 में भली प्रकार दर्ज है। ऐसी परस्थितियों में अधिनस्थ न्यायालय बिना रजिस्टरी को केन्सिल करे, वादी/रेस्पो0 को कोई रिलीफ प्रदान नही कर सकता एवं रजिस्टरी विकय पत्र को केन्शिल करने का वैधानिक अधिकार भी सिविल कोर्ट को है। उक्त रजिस्टर्ड विकयपत्र की उपस्थिति में अधिनस्थ न्यायालय का आदेश एवं डिकी स्वमेय अवैधानिक होने के फलस्वरूप शून्य प्रभावी है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांटस के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमा उक्त आराजी के बाबत पेश कर रखे है, जिनमें एक परिवाद लोकायुक्त के यहॉ उप जिला कलक्टर, टोडाभीम के यहॉ आया। जिसमें उक्त आराजी व अन्य आराजी के बाबत जानकारी चाही। जिस पर प्रार्थी को दिनांक 30.08.2016 को उक्त मुकदमें की छानबीन कर रिकार्ड रूम में आकर प्रार्थना पत्र पेश किया तथा नकल ली तब जाकर सम्पूर्ण मामले की जानकारी हो सकी है। इससे पूर्व अपीलांटस को कभी भी मुकदमें का इल्म नहीं हुआ है। इसलिये दिनांक 16.02.1984 से आज तक डिले कन्डोन फरमाया जाना न्याय संगत है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम 1963 स्वीकार फरमाया जाये।

4. रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रार्थना पत्र दफा 5 में तर्क दिया कि आराजी खसरा नम्बर 27 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम मांचडी तहसील टोडाभीम के नाम है और इसी प्रकार से कागजात लैण्ड रिकार्डस के खाना खातेदारी में इन्द्राज है। मूर्ति श्री सीताराम जी बिराजमान मन्दिर ग्राम मांचडी तहसील टोडाभीम में स्थित है, जिसका पुजारी ऐहतमाम मोहनदास पुत्र नारायण दास जाति बैरागी निवासी मांचडी है जो सदैव से उक्त मंदिर की सेवा पूजा व प्रबन्ध करता चला आ रहा है और उक्त मन्दिर का ऐहतमाम पुजारी है। यह आराजी वादी की ममलूका मकबूजा है। प्रतिवादी निहायत ही चालाक रिसोर्सफुल व्यक्ति है, अपनी चालाकी से पटवार हल्का से साज कर अत्यन्त गोपनीय तरीके से चुपचाप आराजी खसरा नं0 27 की खातेदारी अपने नाम करा ली जबकि किसी प्रतिवादीगण को परपीच्यूल माईनर की कृषि भूमि में किसी प्रकार से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इस प्रकार के इन्द्राज से वादी के कानूनी अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पडता है और उसके अधिकारों का हनन होता है। प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त अवैध एवं खिलाफ कानून है। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने अपने आदेश तारीखी 17.10.2019 एस.बी. सिविल रिट पिटीशन स0 16266/2018 के पेज नं0 6 व 7 पर माननीय न्यायालय को अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र को पहले निस्तारण करने का आदेश फरमाये जाने की स्थिति में ही माननीय अपीलेट कोर्ट को उनवानी अपील को मैरिट पर सुनवाई का आदेश फरमाया है। लिमिटेशन एक्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:09:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

1963 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी दावा, प्रार्थना पत्र, अपील उसके लिए विहित समय के बाद पेश किये जाने पर खारिज कर दिया जावेगा। चाहे मियाद को बचाव के रूप में नहीं रखा गया हो। अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय ए.सी.एम. हिण्डौन द्वारा मूर्ति मंदिर श्री सीताराम जी के हक में जारी डिक्री व निर्णय तारीखी 16.02.1984 की अपील सन 2016 में की है। जिसमें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपने आवेदन दफा 5 लिलिटेशन एक्ट में यह बताया है कि उसे उक्त मुकदमें की जानकारी दिनांक 30.08.2016 को हुई है, इससे पूर्व उसे इस मुकदमें की जानकारी नहीं थी। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह तर्क बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। इस सन्दर्भ में अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली की आर्डर शीट तारीख दिनांक 27.04.1983 का अवलोकन करना आवश्यक है। जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि प्रतिवादीगण उपस्थित है। सम्मन बाद तामील हो चुका है। इसके बाद दिनांक 19.05.83 की आर्डर शीट के अनुसार प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामील माननीय न्यायालय में प्राप्त होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने फरमाये थे। तत्पश्चात दिनांक 16.02.1984 को बहस सुनकार मुकदमें का निर्णय नियमानुसार खुले न्यायालय में सुनाया जाकर डिक्री किया गया। उक्त आर्डरशीट के अवलोकन से बिल्कुल स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण को उक्त निर्णय व डिक्री की बखूबी जानकारी रही है। अपीलार्थी ने उक्त अपील मूर्ति मंदिर ठाकुर श्री सीताराम जी के हक में हुई डिक्री तारीखी 16.02.1984 के विरूद्ध पेश की है। मूर्ति मंदिर ठाकुर श्री सीताराम जी मांचड़ी परपीच्युल माईनर है जो कि मुकदमा हाजा में एक आवश्यक पक्षकार है। जिन्हे अपीलार्थीगण ने बदयान्तिपपूर्वक पक्षकार नहीं बनाया है। इस आधार पर भी अपील अपीलार्थीगण खारिज किये जाने योग्य है। मूर्ति मंदिर श्री सीताराम जी, ग्राम मांचडी जरिये मोहनदास जो कि रेस्पो0 1 के पिता थे के हक में माननीय न्यायालय श्रीमान ए.सी.एम. हिण्डौन सिटी द्वारा दिनांक 16.02.1984 को डिक्री जारी करने के बाद उक्त डिक्री की अनुपालना में मौके पर कब्जा श्री मोहनदास को दिनांक 26.04.1984 को दिलाया गया था तभी से रेस्पो0 नं0 1 काडूराम अपने पिता श्री मोहनदास के समय से ही मूर्ति मंदिर श्री सीतारामजी की उक्त आराजीयात पर मौके पर काबिज एवं दखील है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा बहस में प्रस्तुत [illegible] किया, पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया जिससे [illegible] सहायक जिलाधीश एवं कार्यपालक दण्डनायक हिण्डौन सिटी में [illegible] खातेदारी दखलयावी व हुक्म इम्तनाई दवामी पेश किया। आदेशिका दिनांक 19.0[illegible]83 में पाया गया कि वादी वकील उपस्थित, प्रतिवादी रामरतन, रामसहाय गत पेशी दिनांक उपस्थित थे, आज उपस्थित नहीं है। उनके विरूद्ध एकतरफा के आदेश दिये जावे वादी नियमानुसार सबूत एकतरफा में पेश करे। न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं कार्यपालक दण्डनायक हिण्डौन

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:09:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सिटी में दावा बाबत घोषणा खातेदारी दखलयाबी व हुक्म इम्तनाई दवामी निर्णय दिनांक 16.02.1984 की इजराय में आदेश दिनांक 24.03.1986 को पारित किया। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर (प्रथम) में अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 24.03.1986 को प्रतिवादीगण ने पेश की। राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर (प्रथम) निर्णय दिनांक 25.02. 1989 को आंशिक स्वीकार किया गया है। न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं कार्यपालक दण्डनायक हिण्डौन सिटी के मु0न0 28/1983 निर्णय व डिग्री दिनांक 16.02.1984 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर में 28.09.2016 को अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया गया है। परिसीमन अधिनियम, 1963 की धारा–5 में अभिलिखित है कि "कोई भी अपील या कोई भी आवेदन, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 21 के उपबंधों में से किसी के अधीन के आवेदन से भिन्न हो, विहित काल के पश्चात ग्रहण किया जा सकेगा यदि अपीलार्थी या आवेदक, न्यायालय का समाधान कर दे कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील या आवेदन न करने के लिए पर्याप्त हैतुक था" अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत परिसीमन अधिनियम धारा 5 में कथन किया है कि "रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट के खिलाफ कई अपराधिक मुकदमा उक्त आराजी बाबत पेश कर रखे है। जिनमें एक परिवाद लोकायुक्त के यहॉ से उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के यहॉ आया। जिसमें उक्त आराजी व अन्य आराजी बाबत जानकारी चाही। जिस पर प्रार्थी को दिनांक 30.08.2016 को उक्त मुकदमें की जानकारी प्राप्त हुई है" पत्रावली पर उपलब्ध अपील निर्णय दिनांक 25.02.89 उनवानी मंगल वगै0 बनाम मूर्ति मंदिर वगै0 अपील सं0 52/1987 के अनुसार स्वयं अपीलार्थी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर–1 के यहॉ अपील प्रस्तुत की गयी थी। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलधीन निर्णय की जानकारी अपीलार्थी को पूर्व में भलीभांति थी। अपीलार्थी का यह कथन है कि उसे दिनांक 30.08.16 को मुकदमें की जानकारी प्राप्त हुई है। किसी भी दृष्टिकोण से मानने योग्य नहीं है। अपीलांट द्वारा दर्शित हेतु समयावधि में छूट प्रदान करने के लिए नितान्त अपर्याप्त है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 228 में अपील के लिए समयावधि निर्धारित की गयी है। उक्त अधिनियम में राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में अपील की डिक्री जारी करने के दिनांक से 02 माह तक की अवधि में की जा सकती है। विवेचनानुसार अपीलार्थी के संज्ञान में अपीलाधीन निर्णय की जानकारी पूर्व में भलीभांति होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत परिसीमन अधिनियम, 1963 धारा 5 स्वीकार किया ... प्रतीत नहीं होता है।

6 अतः आदेश है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत परिसीमन अधिनियम, 1963 धारा–5 अस्वीकार किया जाता है। इसके फलस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 15:09:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner